



संख्या- /2022/77-3002(003)/8/2022 /001-1532-3

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन,

गोमती नगर, लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक सितम्बर, 2022

विषय:- वितीय वर्ष 2022-23 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रु० 1043200418/-की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1641/यूपीडा/गंगा/1325/लेखा, दिनांक 09.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु वितीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक “2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-22-यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वितीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” में रु० 23200.00 लाख का प्राविधान किया गया है। शासनादेश सं०-17/2022/001-542-77-3-2022 दिनांक 22.04.2022 द्वारा रु० 4839.45 लाख एवं शासनादेश सं०-33/2022/77-3022(003)/8/2022/001-1196-3 दिनांक 29.07.2022 द्वारा रु० 483945202/- की स्वीकृति निर्गत की गयी है। सम्प्रति धनराशि रु० 1352109795/-अवशेष है। उक्त प्राविधानित अवशेष धनराशि में से हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज दिनांक 01.09.2022 से 28.02.2023 तक रु० 1043200418/- (रु० एक सौ चार करोड बत्तीस लाख चार सौ अठ्ठाराह मात्र) की वितीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I/221632/2022

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी बात बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
 - (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
 - (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन की उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0. 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1,04,32,00,418** (रुपये एक अरब चार करोड़ बत्तीस लाख चार सौ अठारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2022-23** के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002200** यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022**, दिनांक- **07-जून 2022** में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार
मौर्यDate: 30-09-2022 19:36:32
(मनोज कुमार मौर्य),

Reason: Approved

उप सचिव,

संख्या- /2022/77-3002(003)/8/2022 /001-1532-3 तद दिनांक।**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

I/221632/2022

5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,